(53)

राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश ग्वालियर

समक्ष
एम0के0 सिंह
सदस्य

निगरानी प्र0क्र0 1666–दो/2011 विरूद्ध आदेश दिनांक 28.07.2011 पारित द्वारा अपर आयुक्त चम्बल संभाग मुरैना प्रकरण क्रमांक 100/2009–10 निगरानी .

1– रामवरन उर्फ रामचरण
2– निरपाल 3– कैलाश
तीनों पुत्रगण जगन्नाथ कुशवाह
निवासी ग्राम सिरथैया का पुरा
तहसील विजयपुर जिला श्योपुर --- आवेदकगण

विरूद्ध

अर्जुन पुत्र मनफूल कुशवाह ग्राम
सिरथैया का पुरा तहसील विजयपुर
जिला श्योपुर मध्यप्रदेश --- अनावेदक

(आवेदकगण के अभिभाषक श्री श्रीकृष्ण शर्मा)
(अनावेदक सूचना उपरांत अनुपस्थित– एकपक्षीय)

आ दे श

(आज दिनांक 8 जनवरी 2016 को पारित)

यह निगरानी अपर आयुक्त चम्बल संभाग मुरैना द्वारा प्रकरण क्रमांक 100/2009–10 निगरानी में पारित आदेश दिनांक 28.7.2011 के विरूद्ध के विरूद्ध मध्य प्रदेश भू–राजस्व संहिता 1959 की धारा 50 के अंतर्गत प्रस्तुत की गई है।

2/ प्रकरण का सारॉश यह है कि ग्राम दाउदपुर स्थित भूमि सर्वे कमांक 726/2 मिन0 1 रकबा 1 वीघा 5 विसवा में से 5 विसवा तथा सर्वे कमांक 726/3 मिन 1 क रकबा 1 वीघा 7 विसवा में से 7 विसवा (आगे जिसे वादग्रस्त भूमि अंकित किया गया है) आवेदक ने अनावेदक से पंजीकृत विक्रय पत्र दिनांक 30-11-2000 से क्रय किया तथा नामान्तरण किये जाने की मांग करने पर अनावेदक ने आपत्ति प्रस्तुत की, जिस पर से तहसीलदार विजयपुर ने प्रकरण कमांक 01 अ-6/2000-01 पंजीबद्ध किया तथा पक्षकारों को सुनकर आदेश दिनांक 24-7-2003 पारित किया एंव क्रय किये गये रकबे पर केतागण का नामान्तरण स्वीकार किया। इस आदेश के विरूद्ध अनुविभागीय अधिकारी, विजयपुर के समक्ष अपील कमांक 12/2002-03 प्रस्तुत होने पर आदेश दिनांक 14-7-2005 से कलेक्टर की अनुमति के बिना पटटे की भूमि विक्रय होना मानकर तहसीलदार का आदेश दिनांक 24-7-2003 निरस्त कर दिया। इस आदेश के विरूद्ध अपर आयुक्त, चम्बल संभाग, मुरैना के समक्ष निगरानी होने पर प्रकरण कमांक 100/2009-10 निगरानी में पारित आदेश दिनांक 28-7-2011 से निगरानी अस्वीकार की गई। इसी आदेश के विरूद्ध यह निगरानी है।

3/ आवेदकगण के अभिभाषक ने लेखी बहस प्रस्तुत करते हुये निर्णय किये जाने की मांग की। अधीनस्थ न्यायालयों के अभिलेख का अवलोकन किया गया। अनावेदक सूचना उपरांत अनुपस्थित रहने से एकपक्षीय है।

4/ आवेदकगण के अभिभाषक व्दारा प्रस्तुत लेखी बहस पर विचार करने एंव अधीनस्थ न्यायालय के अभिलेख के अवलोकन से पाया गया कि वादग्रस्त भूमि पटटे की भूमि है जो अनावेदक ने

विक्रय पत्र दिनांक 30-11-2000 से आवेदकगण को विक्रय की है। खसरा पंचशाला 2037 से 2040 के कैफियत के कालम नंबर 12 में अंकित अनुसार वादग्रस्त भूमि का पटटा अनावेदक को प्रकरण क्रमांक 80 अ-19/1976-77 में आदेश दिनांक 7-6-1977 से प्राप्त हुआ है तथा खसरा वर्ष 2042 लगायत 2045 के खाना नंबर 18 में अंकित अनुसार आदेश दिनांक 13.10.1986 से पटटाग्रहीता अनावेदक को भूमिस्वामी घोषित किया गया है। अनावेदक अनुसूचित जाति अथवा अनुसूचित जनजाति का नहीं है अपितु काछी जाति का है। विचार योग्य है कि क्या वर्ष 1977 में प्राप्त पटटे की भूमि के भूमिस्वामी व्दारा भूमि विक्रय कर देने से संहिता की धारा 165 से प्रतिबन्धित होना मानी जावेगी ? **आधुनिक गृह निर्माण सहकारी समिति मर्या0 विरूद्ध म0प्र0राज्य तथा एक अन्य 2013 रा0नि0-8 - माननीय** उच्च **न्यायालय का न्यायिक दृष्टांत है कि :-**

> **" (1) भू-राजस्व संहिता, 1959 (म.प्र.)-धारा 165 (7-ख) तथा 158 (3) का लागू होना - उपबंधों के अंतः स्थापन से पूर्व पटटा तथा भूमिस्वामी अधिकार प्रदान किये गये - बिना अनुमति के भूमि का अंतरण - उपबंधों को भूतलक्षी प्रभाव नहीं दिया गया - उपबंध आकर्षित नहीं होते - भूमिस्वामी का अंतरण का अधिकार निहित अधिकार है।**
>
> **(2) विधि का निर्वचन - का सिद्धांत - नवीन उपबंध का अंतःस्थापन - भूलक्षी प्रभाव नहीं दिया गया - ऐसे उपबंध की भूतलक्षी प्रभावी होने की उपधारणा नहीं की जा सकती।"**

वादग्रस्त भूमि को अनावेदक तत्समय विक्रय करने हेतु स्वतंत्र होने से भूमि का अंतरण हुआ है। तहसीलदार विजयपुर के प्रकरण क्रमांक 01 अ-6/2000-01 में पारित आदेश दि. 24-7-2003

के अवलोकन पर पाया गया कि तहसीलदार ने विक्रय पत्र क्रमांक 373 दिनांक 30-11-2000 से विक्रीत भूमि सर्वे क्रमांक 726/2 मिन 1 रकबा 1 वीघा 5 विसवा रामवरन पुत्र जगन्नाथ कुशवाह के नाम एंव विक्रय पत्र क्रमांक 382 दिनांक 4-12-2000 से उक्त नंबर की भूमि रकबा 1 वीघा यानि 0.209 निरपाल, कैलाश पुत्रगण जगन्नाथ कुशवाह के नाम तथा सर्वे क्रमांक 726/3 मिन 1 रकबा 0.209 हैक्टर निरपाल कैलाश पुत्रगण जगन्नाथ के नाम नामान्तरण स्वीकार किया है किन्तु विक्रयपत्र क्रमांक 373 दिनांक 30-11-2000 से क्रय किये गये स.नं. 726/3 मिन 1 रकबा 0.282 है. में से रकबा 0.074 का नामान्तरण रामवरण पुत्र जगन्नाथ के नाम इस आधार पर नहीं किया है कि यह भूमि शासकीय पटटेदार की है जबकि उपरोक्त विवेचना अनुसार शासकीय पटटेदार पटटे की शर्तो के 10 वर्षो तक निरन्तर पालन करने के कारण विक्रय करने के लिये स्वतंत्र है। अतः विक्रयपत्र क्रमांक 373 दिनांक 30-11-2000 से क्रय किये गये स.नं. 726/3 मिन 1 रकबा 0.282 है. में से रकबा 0.074 का नामान्तरण रामवरण पुत्र जगन्नाथ नामांत्रण कराने की पात्रता रखता है परन्तु तहसीलदार व्दारा इस रकबे पर आवेदक क्रेता रामवरण पुत्र जगन्नाथ का नामान्तरण न करने की त्रृटि की है एंव अपीलीय न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी विजयपुर ने वास्तविक तथ्यों के विपरीत जाकर तहसीलदार विजयपुर के प्रकरण क्रमांक 01 अ-6/2000-01 में पारित आदेश दिनांक 24-7-2003 को निरस्त करने में भूल की है क्योंकि विक्रय पत्र को अमान्य करने की शक्तियॉ एंव संहिता की धारा 165 के अधीन आदेश पारित करने की शक्तियॉ अनुविभागीय अधिकारी को नहीं है और अपर आयुक्त, चम्बल संभाग, मुरैना ने भी इन तथ्यों पर ध्यान न देने

की भूल की है जिसके कारण उनके व्दारा पारित आदेश स्थिर रखे जाने योग्य नहीं है।

5/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर निगरानी स्वीकार की जाकर अपर आयुक्त, चम्बल संभाग, मुरैना द्वारा प्रकरण कमांक 100/2009-10 निगरानी में पारित आदेश दिनांक 28-7-2011 तथा अनुविभागीय अधिकारी, विजयपुर व्दारा प्रकरण कमांक 12/2002-03 में पारित आदेश दिनांक 14-7-2005 त्रृटिपूर्ण होने से निरस्त किये जाते हैं। परिणामतः विक्रयपत्र कमांक 373 दिनांक 30-11-2000 से क्रय किये गये स.नं. 726/3 मिन रकबा 0.282 है. में से रकबा 0.074 पर आवेदक रामवरण पुत्र जगन्नाथ कुशवाह का नामान्तरण स्वीकार करते हुये तहसीलदार विजयपुर द्वारा प्रकरण कमांक 01 अ-6/2000-01 में पारित आदेश दिनांक 24-7-2003 यथावत् रखा जाता है।

(एम0के0सिंह)
सदस्य
राजस्व मण्डल
मध्य प्रदेश ग्वालियर